भारत स्काउट एवं गाइड, मध्यप्रदेश राज्य मुख्यालय,
शांति मार्ग, श्यामला हिल्स, भोपाल

Phone.: 2661263,2737446 Fax: 2737446 Website:www.bsgmp.net E_mail:bsgmadhyapradesh@gmail.com

क्र0/ 179 /रा0मु0/साज–सज्जा/2018 भोपाल, दिनांक 11.4.18

प्रति,

समस्त जिला संगठक (स्का./गा.)
भारत स्काउट/गाइड म.प्र.
जिला कार्यालय ....म.प्र.

विषय :– स्काउट एवं गाइड सामग्री की राशि भेजने एवं अभिलेख तैयार करने बाबत्।

संदर्भ :– इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 5631 दिनांक 13.03.2018 के अनुक्रम में ।

––––000––

1.) कृपया संदर्भित पत्र के माध्यम से आपसे जिले में संचालित स्काउट गाइड सामग्री शाप की जानकारी समीक्षा बैठक में चाही गई थी किन्तु आपके द्वारा संदर्भित पत्र से वांछित जानकारी नही भेजी गई यह बडा ही खेद का विषय है। इस संबंध में आपसे समीक्षा बैठक में चर्चा की गई जिसमें आपके द्वारा स्काउट–गाइड सामग्री की राशि एवं वांछित जानकारी एवं अभिलेख दिनांक 10.4.2018 तक जमा करने हेतु कहा गया था किन्तु अभी तक आपके द्वारा अभी तक समीक्षा बैठक में दिए गए समय से जानकारी नही भेजी है ।अतः संदर्भित पत्र द्वारा चाही गई जानकारी एवं विक्रय राशि शीघ्र अतिशीघ्र भेजी जावे ।

2) प्रायः यह देखने में आ रहा है कि आपके द्वारा जिले की शालाओं से सीधे राज्य सचिव के नाम से चैंक लिया जाता है और चैंक की रसीद आप आपने नाम से मागते जो लेखा नियमानुसार ठीक नही है लेखा नियमों में स्पष्ठ है कि जिस व्यक्ति/संस्था से चेंक प्राप्त होता है उसी के नाम से रसीद दी जानी चाहिए जबकि आपके द्वारा राज्य सचिव के नाम से संस्था से प्राप्त चैक लिया जाकर रसीद आपने नाम से मांगी जाती है यह अंकेक्षण में आपत्ति ली गई है । भविष्य में यदि आपके द्वारा किसी संस्था का चैंक भेजा जाता है तो रसीद भी उसी के नाम से दी जावेगी इसलिए आप जिले से जो सामग्री विक्रय करते है तो उसकी राशि का चैंक जिला संगठनायुक्त (स्का./गा.) के नाम से लिया जाकर अपने खाते में जमा करे एवं जमा राशि राज्य मुख्यालय को अपने चैंक से भुगतान किया जाए तभी रसीद आपके नाम से दी जावेगी । अंकेक्षण द्वारा यह भी आपत्ति ली गई हे कि राशि संस्था से प्राप्त हुई है एवं अन्य व्यक्ति को प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया गया है यह भी लेखा नियमों के विपरीत है इसलिए भविष्य में यदि आपके द्वारा उक्त प्रक्रिया का पालन नही किया जाता है तो आपको प्रोत्साहन राशि भी दी जाना संभव नही होगा।

राज्य सचिव
भारत स्काउट एवं गाइड,म.प्र.

पृष्ठा.क./180/रा.मु./साज–सज्जा/2018 भोपाल, दिनांक 11.4.18

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. समस्त सहायक राज्य संगठनायुक्त (स्का./गा.) भारत स्काउट एवं गाइड संभागीय कार्यालय की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

राज्य सचिव
भारत स्काउट एवं गाइड, म.प्र.

C:\Documents and Settings\Devendra\Desktop\desktop 27-11-2017\LATTER ALL STORE\Ltr_Store all-17.doc- 707 -